

आउटकम बजट 2021–22

उच्च शिक्षा

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सैक्टर योजनाएँ								

अनुदान सं0–11

1	निदेशन तथा प्रशासन	1. राजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्धन, प्रशासकीय एवं वित्तीय नियन्त्रण, विकास। 2. समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के वेतन वितरण, वेतन निर्धारण व अन्य प्रशासनिक कार्य। 3. विश्वविद्यालयों से समन्वय व उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।	634.50	0	105 राजकीय महाविद्यालय, 19 अशासकीय महाविद्यालय, 19 अनानुदानित महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	05 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।	110 राजकीय महाविद्यालय, 19 अशासकीय महाविद्यालय, 19 अनानुदानित महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	05 नवीन महावि0 की स्थापना साथ कुल 110 राज0 महाविद्यालयों, 19 अशा0 महावि0 एंवं 19 अनानुदानित महावि0 का अनुश्रवण।	एक वर्ष
3	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	राज्य में उच्च शिक्षा की पहुँच में वृद्धि, सभी को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	1173.62	0	गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये निर्धारित महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं एंवं पुस्तकालयों का उच्चीकरण एवं प्रभावी वातावरण का निर्माण।	पूर्ववत्	राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों मे अध्ययन हेतु मानकपरक सुसज्जित प्रयोगशालाओं एंवं पुस्तकालय स्थापित।	यथावत्	एक वर्ष

	सैक्टर / योजना / कार्यक्रम का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
4	राजकीय उपाधि महाविद्यालय।	राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना/नये संकायों, विषयों/पदों का सृजन एवं कार्यशीलता।	30738.98	0	75 राज0 स्नातक महावि0 तथा 30 राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखखाव।	05 राज0 महावि0 की स्थापना तथा 05 राज0 महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण तथा महावि0 में नवीन विषयों को प्रारम्भ किया जाना।	75 राज0 स्नातक महावि0 तथा 35 राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखखाव।	05 प्रस्तावित नवीन राज0 महावि0 की स्थापना सहित 110 स्नातक / स्नातकोत्तर महावि0 में मानकपरक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये बेहतर संचालित महाविद्यालय / संचालित महाविद्यालयों में नये विषयों/संकाय स्थापित एवं नये विषयों हेतु शिक्षकों की उपलब्धता।	एक वर्ष
5	यूजी0सी0 शैयर	मैचिंग महाविद्यालयों में यूजी0सी0 की योजना के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करना।	0.01	0	—	—	—	—	
6	एन0डी0ए0 आई0एम0ए0 चयनित छात्र-पुरस्कार।	तथा में आई0एम0ए0 में चयनित उत्तराखण्ड के मेद्यावी छात्र-छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रदान करना।	25.00	0	(200 अभ्यर्थियों को ₹0 50,000/- प्रति अभ्यर्थी) की दर से प्रोत्साहन राशि हेतु धनराशि प्राविधानित।	22 अभ्यर्थियों हेतु ₹0 11.00 लाख की धनराशि स्वीकृत।	(200 अभ्यर्थियों को ₹0 50,000/- प्रति अभ्यर्थी) की दर से प्रोत्साहन राशि प्रस्तावित।	200 अभ्यर्थी योजना से लाभान्वित होंगे एवं युवा वर्ग को सशस्त्र सेना में कैरियर के चयन का विकल्प प्राप्त होगा।	एक वर्ष
7	विश्वविद्यालयों के कैम्पसों आधुनिकीकरण जैसे वाई-फाई इत्यादि	विश्वविद्यालयों के परिसरों में डिजिटल शिक्षा हेतु ICT सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।	0.01	0	—	—	—	—	

	सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
8	महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन के स्तर तक सुदृढ़ीकरण	यू०जी०सी० से अनुदान प्राप्त करने हेतु नैक प्रत्यायन के लिये निर्धारित मानकों को पूरित हेतु महाविद्यालय को सहायता राशि प्रदान करना।	56.00	0	नैक प्रत्यायन हेतु रु० 100. 00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	14 महावि० में नैक प्रत्यायन हेतु धनराशि प्रदान की जानी है।	नैक प्रत्यायन से महावि० में गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।	एक वर्ष
9	राजकीय महाविद्यालयों/वि०वि० को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को एडुसैट योजना के माध्यम से शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु एस०आई०टी०/अन्य उपकरण आदि की स्थापना किये जाने हेतु	41.00		52 राज० महावि० में एडुसैट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।	राजकीय महाविद्यालयों/वि०वि० को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा हेतु रु० 30.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	समस्त शासकीय/ अशासकीय एवं वि०वि० को एडुसैट के माध्यम शिक्षा प्रदान करना।	समस्त छात्र-छात्राओं के शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
10	राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन किये जाने हेतु।	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन किये जाने हेतु।	60.00		राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन हेतु धनराशि प्राविधानित।	राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन हेतु रु० 56.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	राज०महाविद्यालयों में अद्ययनरत् छात्र- छात्राओं हेतु पुस्तकों की समस्याओं का निराकरण एवं नवीन ज्ञान में वृद्धि करना।	ई-ग्रंथालय की स्थापना किये जाने से प्रदेश के समस्त छात्र-छात्राओं को शिक्षा में सहायता प्राप्त होगी।	एक वर्ष
11	मुख्यमंत्री नवाचार योजना	उत्तराखण्ड राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों और छात्र-छात्राओं के मध्य नवोन्नेष (Innovation) को बढ़ावा देने हेतु।	100.00		मुख्यमंत्री नवाचार योजना हेतु रु० 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	उत्तराखण्ड राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों और छात्र-छात्राओं के मध्य नवोन्नेष (Innovation) को बढ़ावा देने हेतु।	युवा वर्ग को कौशल संबंधित ज्ञान एवं रोजगारपरक अवसर प्रदान करना तथा विज्ञान एवं प्रोग्रामिकी को नित आयाम देना, रोजगारपरक शोध को बढ़ावा, मानव को उत्कृष्ट संसाधन के ऊपर में विकसित करना।	एक वर्ष

	सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
12	एक भारत श्रेष्ठ भारत	राज्यों की वेशभूषा, खान-पान एवं संस्कृति का आदान-प्रदान।	20.00		एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना हेतु ₹0 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत राज्य के 50 छात्रों का दूसरे राज्य के पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराना।	राज्यों की संस्कृति का आपस में आदन-प्रदान होगा।	एक वर्ष
13	राज्य के मेद्यावी छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन योजना	राजकीय महाविद्यालयों में ग्रेडिंग व्यवस्था लागू किये जाने, स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि दिये जाने हेतु	50.00		राज्य के मेद्यावी छात्र/छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना हेतु ₹0 70.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	राज0 महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातको0 स्तर में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया जाना।	पुरस्कार प्रदान किये जाने से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेंगा।	एक वर्ष
14	भक्त दर्शन सिंह पुरस्कार योजना	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रत्येक वर्ष 05 ऐसे उत्कृष्ट शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु प्रति शिक्षक को ₹0 50,000/- की दर से पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु।	3.00		उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत 04 उत्कृष्ट शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार ₹0 50,000 प्रति शिक्षक धनराशि प्रदान की गयी।	—	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रत्येक वर्ष 05 ऐसे उत्कृष्ट शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु।	पुरस्कार प्रदान किये जाने से महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य शिक्षक भी इस कार्य हेतु प्रयासरत रहेंगे, जिससे शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

	सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
15	संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष आधिक सहायता	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राज्य विविध स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो को अखिल भारतीय सिविल सेवा व सम्मिलित रक्षा सेवा में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रवेश परीक्षाओं हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण/कोचिंग उपलब्ध कराये जाने हेतु।	20.00		उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण/कोचिंग हेतु ₹0 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं को अखिल भारतीय सिविल सेवा व सम्मिलित रक्षा सेवा (सी0डी0एस0/आई0एम0ए0) प्रवेश परीक्षाओं एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं प्रशिक्षण/कोचिंग कराये जाने हेतु।	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं द्वारा मुख्य परीक्षा की तैयारी विशेषज्ञों के पर्यवेषण में की जा सकें, जिससे राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान होगे।	एक वर्ष
16	शोध एवं विकास कार्यों हेतु	प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किये जाने तथा छात्र-छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु।	10.00		शोध एवं विकास कार्यों की योजना हेतु ₹0 10.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किये जाने तथा छात्र-छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु।	शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं के शोध एवं विकास कार्यों के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने से न केवल उनके बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा अपितु विकास एवं स्वरोजगार के नवीन अवसर खोजने में भी सहायता मिलेंगी, जिससे अध्यापन कार्यों में आ रही समस्याओं का निदान होगा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा।	

	सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
17	राजकीय महाविद्यालयों का कार्यरत प्राचार्य/प्राध्यापकों को प्रशिक्षण।	उच्च शिक्षा विभाग में प्राचार्य/अधिकारी के रूप में प्रोन्नत प्राध्यापकों को प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु रु0 10.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	0.00		प्राचार्य/अधिकारी के रूप में प्रोन्नत प्राध्यापकों को प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु रु0 10.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	उच्च शिक्षा विभाग में प्राचार्य/अधिकारी के रूप में प्रोन्नत प्राध्यापकों को प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन किये जाने के लिए नवाचार एवं प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु।	प्राचार्य/प्राध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से न केवल विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार होगा बल्कि इसका लाभ छात्र-छात्राओं को भी प्राप्त होगा, जिससे उच्च शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
18	अशासकीय महाविद्यालयों को वेतनादि के लिए अनुदान	अशासकीय महाविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत वेतनादि की व्यवस्था।	10452.67	0	19 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	—	19 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	19 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं रखरखाव सम्पन्न होगा।	एक वर्ष
19	प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सेमीनारों आदि में भाग लेने हेतु अनुदान।	क्षमता विकास के अन्तर्गत प्राध्यापकों को शैक्षिक स्तर में वृद्धि हेतु सहायता अनुदान की व्यवस्था।	1.00	0	प्राध्यापकों को अनुदान की सुविधा दिया जाने हेतु रु0 1.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	पूर्ववत्	विदेशों में शिक्षित /प्रशिक्षित प्राध्यापकों से उच्च शिक्षा के गुणवत्ता उन्नयन में वृद्धि।	यथावत्।	एक वर्ष
20	वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल के छात्राओं को छात्रावास की सुविधा।	वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल के छात्रावास का रखरखाव हेतु।	2.00	0	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 205 छात्राओं के छात्रावास का रखरखाव	पूर्ववत्	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 205 छात्राओं के छात्रावास का रखरखाव	उत्तराखण्ड की छात्राएं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित एवं लाभान्वित।	एक वर्ष
21	प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं निर्धारण हेतु समिति	शुल्क नियामक समिति के सदस्यों को मानदेय एवं शुल्क नियामक समिति के कार्यालय के व्ययों की व्यवस्था करना।	16.00	0	शुल्क निर्धारण समिति गठित।	समिति द्वारा शुल्क ढाँचे का मूल्यांकन एवं संशोधन प्रस्तावित किया गया।	समिति के सदस्यों को मानदेय का वितरण एवं नियामक समिति के कार्यालय का संचालन एवं रखरखाव।	विवेकपूर्ण शुल्क ढाँचे के निर्धारण द्वारा सर्वसुलभ शिक्षा तथा संसाधनों का नियोजन।	एक वर्ष

	सैक्टर / योजना / कार्यक्रम का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
22	भारतीय भाषा विकास।	विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार।	2.00	0	बजट प्राविधानित	—	09 भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था पर व्यय किया जायेगा।	विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार।	एक वर्ष
	अनुदान सं0–11 का योग:-		43405.79	0					
अनुदान सं0– 30 (राजस्व पक्ष)									
23	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	महाविद्यालयों में ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री और शिक्षण उपलब्ध कराना।	226.13	0	ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग में वृद्धि करना एवं यूजी0सी0 व अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा ओपन कोर्स वियर का प्रयोग करना।	पूर्ववत्	महाविद्यालयों को एल0सी0डी0 / फोटो कापियर / कम्प्यूटर आदि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनके माध्यम से उपलब्ध कार्सेस का प्रसारण किया जायेगा।	यथावत्।	एक वर्ष
24	प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण योजना।	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी हेतु प्रशिक्षण करना।	25.00	0	प्रदेश के 13 महावि0 में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था।	प्राविधानित बजट योजना में संचालित 13 राज0 महावि0 में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित हेतु अवमुक्त की गयी।	प्रदेश के 13 राज0 महावि0 में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था को जारी रखा जायेंगा।	छात्र-छात्राएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर सफलता प्राप्त करेंगे।	एक वर्ष
	अनुदान सं0–30 का योग:-		251.13	0					
अनुदान सं0– 31 (राजस्व पक्ष)									
25	अनुसूचित जनजाति उपयोजना। (03–महावि0 सुदृढीकरण) टी0एस0पी0 का	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को आधारभूत सुविधाएँ एवं पुस्तकें उपलब्ध कराना।	9.90	0	जनजाति क्षेत्र में संचालित 07 महावि0 के सुदृढीकरण हेतु बजट प्राविधानित।	प्राविधानित बजट योजना में संचालित 07 राज0 महावि0 हेतु अवमुक्त की गयी।	जनजाति क्षेत्र के संचालित 07 राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।	जनजाति छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त सुविधाएँ एवं पुस्तकें प्राप्त होंगी।	एक वर्ष

	सैक्टर / योजना / कार्यक्रम का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
26	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्।	राजकीय महाविद्यालयों को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययन हेतु मानकपरक विषय सामग्री उपलब्ध कराना।	113.57	0	उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु महाविद्या स्तर पर प्रयास किये जाने के निर्देश जारी। जेण्डर सम्बोदी, सुरक्षित एवं अहिंसक एवं समावेशी वातावरण सृजित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।	समस्त महाविद्यालयों में महिला परिवेदना निवारण समिति का गठन किया गया है, विकलांगों हेतु सुविधाओं का विकास महाविद्यालयों के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है।	महाविद्यालयों में दिव्यांग हेतु रैम्प निर्माण आदि कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराये जाने तथा छात्राओं हेतु सुरक्षित एवं अहिंसक वातावरण सृजित किये जाने से समस्त वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकेंगा।	यथावत्	एक वर्ष
अनुदान सं0–31 का योग:-			123.47	0.00					
राजस्व पक्ष अनु0 सं0 (11,30,31) का कुल योग:-			43780.39	0					

केन्द्रपोषित पूँजीगत पक्ष									
27	रुसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में ढॉचागत सुविधाओं का निर्माण/विस्तार करना।	शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में ढॉचागत सुविधाओं का निर्माण/विस्तार करना।	0	3535.00	आवश्यक भवन संरचना उपलब्ध कराये जाने हेतु रुसा के माध्यम से बजट आवंटन।	महाविद्यालयों में रुसा के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु रुपय 1808.65 लाख की धनराशि रुसा को हस्तान्तरित।	66 निर्माण कार्य प्रारम्भ— 04 विश्वविद्यालय 62 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पूर्ण किया जायेगा।	04 विश्वविद्यालयों एवं 62 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में यथावश्यक ढॉचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।	दो वर्ष
केन्द्र पोषित पूँजीगत पक्ष का योग:-			0.00	3535.00					

	सैक्टर / योजना / कार्यक्रम का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
		अनुदान सं0–11 (पूँजीगत पक्ष)							
28	कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के भवनों को पूर्ण किया जाना।	राजकीय महाविद्यालयों में चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण करना एवं नये निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करना।	0	2000.00	महावि0 में निर्माण प्रक्रिया गतिमान।	निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु ₹0 1739. 15 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	चालू निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना।	महावि0 के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेंगा।	एक वर्ष
29	राजकीय महाविद्यालयों के भूमि क्रय / भवन निर्माण।	1. असेवित क्षेत्रों में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना। 2. महाविद्यालयों में चालू निर्माण कार्य को पूर्ण करना एवं नये निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करना।	0	0.01	राज0 महावि0 हेतु भूमि / भवन निर्माण की व्यवस्था।	—	वर्ष 2021–22 में महावि0 को भूमि / भवन की उपलब्धता की प्रक्रिया गतिमान।	महावि0 के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेंगा।	एक वर्ष
30	उच्च निदेशालय शिक्षा भवन निर्माण	निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के आवासीय भवन के निर्माण हेतु।	0	10.00	निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के आवासीय भवन निर्माण की व्यवस्था।	—	वर्ष 2021–22 में निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के आवासीय भवन निर्माण की प्रक्रिया गतिमान।	—	एक वर्ष
31	स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम।	राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु भवन निर्माण।	0	25.00	राज0 महावि0 लम्बगाँव में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम का भवन निर्माणाधीन	निर्माण प्रक्रिया गतिमान।	राज0 महावि0 लम्बगाँव में निर्माणाधीन स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम के भवन का निर्माण पूर्ण किया जायेंगा।	राजकीय महाविद्यालय लम्बगाँव में गुणवत्तायुक्त बी0एड0 कार्यक्रम संचालित करने का वातावरण निर्मित होगा।	एक वर्ष
		अनुदान सं0–11 पूँजीगत पक्ष का योग:-	0	2035.01					

	सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले		1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
अनुदान सं0–30 (पूँजीगत पक्ष)									
32	चुड़ियाला हरिद्वार में महाविद्यालय स्थापना / निर्माण भवन	अनुसूचित जाति क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला हरिद्वार में गुणवत्तायुक्त अध्ययन हेतु ढाँचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण भवन निर्माण।	0	0.00	—	—	—	—	एक वर्ष
अनुदान सं0–30 पूँजीगत पक्ष का योग:-			0	0.00					
अनुदान सं0–31 (पूँजीगत पक्ष)									
33	जनजाति क्षेत्र में छात्रावास का निर्माण	राजकीय महाविद्यालय चकराता में ढाँचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।	0	350.00	राज0 महावि0 चकराता में बहुउद्देशीय भवन एवं परीक्षा भवन के निर्माण कार्यों हेतु।	रु0 132.49 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	बहुउद्देशीय भवन एवं परीक्षा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करना।	सम्बन्धित महाविद्यालय में अध्ययन हेतु बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण होगा।	एक वर्ष
अनुदान सं0–31 पूँजीगत पक्ष का योग:-			0	350.00					
कुल योग (राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष)			43780.39	5920.01					